



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिगोरिया)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 627 दायर दिनांक 03.10.2025 निर्णय दिनांक 03.10.2025

क्र.म.	नाम- ग्राम	खान.	सिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	खिरिया	340	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक	तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम खिरिया, प.ह. हिगोरिया खाला संख्या 241D में वर्तमान प्रविष्ट बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

हस्ताक्षर पटवारी  
पटवार हस्ताक्षर  
तह.कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

हस्ताक्षर गिरदावर  
3-10-2025

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़